



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14829

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2115 वर्ष 2026

आशुतोष कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

संजीव कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल**

1. सूची को संशोधित किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार सिंह, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री उमर ज़ामिन एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- गगहा, जिला- गोरखपुर में मुकदमा अपराध संख्या 463 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3) बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट मुखबिर द्वारा दिनांक 18.08.2025 को लगभग 01:00 बजे पूर्वाह्न में इस आशय के साथ दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 15/16.08.2025 की रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग दो दिन विलंबित है और उक्त कारित विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए थे, लेकिन उक्त फुटेज में आवेदक की उपस्थिति नहीं है। चश्मदीद गवाह, जिसका नाम चंद्रजीत यादव है, उसे बाद में लाया गया और उसने आवेदक को हमलावरों में से एक के रूप में नामित किया है और उसने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ कुल सत्रह व्यक्तियों को नामित किया है। चश्मदीद गवाह चंद्रजीत यादव द्वारा नामित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी (general and omnibus) आरोप हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष कार्य (overt act) नहीं सौंपा गया है।
7. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 18.08.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं किया जा सका।
9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुए विलंब,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चशमदीद द्वारा नामित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप होने तथा सीसीटीवी फुटेज में आवेदक की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- आशुतोष कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

**(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)**

**जनवरी 21, 2026**

**शालिनी**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।